भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1070

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

भारत में परम्परागत जल संसाधन

1070. श्री बालक नाथ:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेयजल पारंपरिक जल संसाधनों की कमी को देखते हुए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे परंपरागत जल संसाधनों की कुल संख्या क्या है जिनका पुनरूद्धार किया गया है, जो मरम्मत, पुनरूद्धार और नवीकरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं;

(ख) भविष्य में पुनरूद्धार किए जाने के लिए प्रस्तावित जल संसाधनों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अनेक परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन हेतु लंबित है और यदि हां, तो उक्त अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल संसाधन परियोजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार नियोजित, वित्त पोषित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में, भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों, जैसे कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जल निकायों आदि की मरम्मत, नवीनीकरण, बहाली (आरआरआर) के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) स्कीम का उद्देश्य और जल निकायों में सुधार और उनकी पुनर्स्थापना के साथ-साथ अन्य कई उद्देश्यों जैसे टैंक भंडारण क्षमता को बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि करना, टैंक कमांड आदि के तटबंध में सुधार करके सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है।

जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) स्कीम के तहत, बारहवीं योजना के बाद से विभिन्न राज्यों में बहाली के लिए राजस्थान के 68 जल निकायों सहित कुल 2064 जल निकायों को लिया गया है, जिसमें से राजस्थान के 52 जल निकायों सहित 1160 जल निकायों का काम पूरा कर लिया है।

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2019-20 के लिए मनरेगा के तहत पारंपरिक जल निकायों के नवीकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण (संख्या)		
	पूरे हो चुके	**जारी**
सभी राज्य	5407	143428
राजस्थान	268	14582

फिलहाल, जल निकायों को आरआरआर स्कीम के तहत शामिल करने के लिए कोई पात्र प्रस्ताव लंबित नहीं है।

****